राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 739वी बैठक दिनांक 29.07.2022 का कार्यवाही विवरण

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) मध्यप्रदेश की 739वी बैठक दिनांक 29.07.2022 को श्री अरूण कुमार भट्ट, अध्यक्ष, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की अध्यक्षता में एप्को, पर्यावरण परिसर, भोपाल में सम्पन्न हुई बैठक में निम्न सदस्य स्वयं/विडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम उपस्थित थे :-

1. श्री अनिल कुमार शर्मा, सदस्य, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण।
2. श्री श्रीमन् शुक्ला, सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण।

बैठक के प्रारंभ में प्रभारी अधिकारी, सचिवालय, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा अध्यक्ष एवं सदस्यों का स्वागत किया गया।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिये गयेः-

क्र.	प्रकरण क्र.	अधिसूचित श्रेणी	परियोजना	SEAC द्वारा अनुशंसित/ परिवेश पोर्टल पर आवेदित	प्राधिकरण का निर्णय
1.	9262/2022	5(f)	API & Pharmaceutical Intermediates	For ToR	ToR स्वीकृत
2.	9264/2022	1(a)	पत्थर खदान	For ToR	ToR स्वीकृत
3.	9265/2022	1(a)	पत्थर खदान	For ToR	ToR स्वीकृत
4.	9268/2022	1(a)	पत्थर खदान	EC Not rcommended	Sent to SEAC
5.	9261/2022	1(a)	पतथर खदान	EC Not rcommended	Sent to SEAC
6.	9267/2022	1(c)	बराज कम्बाइन्ड मल्टीपरपज प्रोजेक्ट	संशोधित ToR	ToR स्वीकृत
7.	9171/2022	1(a)	पत्थर खदान	EC Not rcommended	Delisted
8.	9190/2022	1(a)	पत्थर खदान	For ToR	ToR स्वीकृत
9.	जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, जिला – ग्वालियर (म.प्र.) ।			SEAC द्वारा अनुशंसित नहीं	**SEAC के निर्णय से सहमत**
10.	9204/2022	1(a)	पत्थर खदान	For Delist	Closed
11.	9205/2022	1(a)	पत्थर खदान	For Delist	Delisted
12.	9138/2022	1(a)	पत्थर एवं एम.सेण्ड खदान	For Delist	Delisted
13.	7474/2022	1(a)	पत्थर खदान	For Delist	Delisted
14.	8940/2021	7(h)	Common Effluent Treatment Plant	For Delist	Delisted
15.	9215/2022	1(a)	पत्थर खदान	For Delist	Relisted
16.	जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, जिला – छतरपुर (म.प्र.) (संशोधित)।			SEAC द्वारा अनुशंसित	**SEAC के निर्णय से सहमत**
17.	8148/2022	1(a)	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	SEAC को पुनः अग्रेषित
18.	9231/2022	1(a)	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	SEAC को पुनः अग्रेषित

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

19.	6769/2020	1(a)	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	SEAC को पुनः अग्रेषित
20.	6770/2020	1(a)	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	SEAC को पुनः अग्रेषित
21.	9214/2022	1(a)	मुरूम खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	SEAC को पुनः अग्रेषित
22.	9137/2022	1(a)	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	SEAC को पुनः अग्रेषित
23.	9223/2022	1(a)	मुरूम खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	SEAC को पुनः अग्रेषित
24.	9119/2022	1(a)	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	SEAC को पुनः अग्रेषित
25.	9222/2022	1(a)	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	SEAC को पुनः अग्रेषित
26.	9221/2022	1(a)	मुरूम खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	SEAC को पुनः अग्रेषित
27.	6376/2019	1(a)	ग्रेनाईट खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	SEAC को पुनः अग्रेषित
28.	6534/2019	1(a)	ग्रेनाईट खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	SEAC को पुनः अग्रेषित
29.	9224/2022	1(a)	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	SEAC को पुनः अग्रेषित
30.	9225/2022	1(a)	पत्थर खदान	पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति	SEAC को पुनः अग्रेषित

1- **Case No 9262/2022:** Prior Environment Clearance for Manufacturing of API & Pharmaceutical Intermediates Product at Plot No. 67 & 89, DMIC Vikram Udyogpuri Ltd, Village - Narwar, Dist. Ujjain. M.P.[Production Capacity - 1260 Tonnes per Annum Bulk Drugs/Active Pharmaceutical Ingredients (Steroids/Hormones/General Drugs like Vitamins, Antibiotics, Antifungal, Antiviral, Antiparasitic etc.) / Drug Intermediates/Chemicals/Fine Chemicals by M/s Symbiotec Life Sciences Pvt. Ltd, 385/2, Pigdamber, Rau, Dist. Indore, MP – 453331

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 586 वी बैठक दिनांक 21.07.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–डी) सहित ToR जारी किये जाने की अनुशंसा पृष्ठ क्र. 15 से 19 पर उल्लेखित है। राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा SEAC की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों के साथ ToR प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

1. The project is Proposed for Manufacturing of API & Pharmaceutical Intermediates Product at Plot No. 67 & 89, DMIC Vikram Udyogpuri Ltd, Village - Narwar, Dist. Ujjain, MP. (As industrial area notified by Govt. of M.P.)
2. The project occupies a plot Area of 125816 m2 of land. Proposed production capacity of API/Bulk Drug & Intermediates will be 1260 MT/Annum. The total fixed cost of the project is estimated as INR 56364 lacs
3. The case was presented by the PP and their consultant in 586th SEAC meeting dated 21.07.2022 and recommended for ToR and mintues is mentioned in the pg. no. 15 to 19. After the recommendation of SEAC today the case was scheduled for approval of ToR and after discussion in detail decided to approve the ToR as recommended by SEAC and issue additional TOR by incorporating following points for preparation of EIA report:

   a) Details of unit located adjacent to the project site.

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

b) Global warming potential and carbon foot print of the industrial activities and measures for its reduction should be studied and discussed in the EIA along with Energy Efficiency Measures proposed.

c) PP shall ensure to prepare plan for utilization of non conventional energy sources as far as possible and incorporate in the EIA study.

d) EIA should deliberate on the modalities for conforming to emission standards of generator sets as notified in the draft gazette notification dated 18-02-2022 of MoEFCC.

e) Storm water management plan should be planned and discussed in EIA.

f) Under energy conservation plan detail-out solar light erection panels.

g) Energy efficient measures (LED lights, solar power, etc) during construction as well as during operational phase of the project.

h) PP has proposed the water requirement of the project will be meet out from the ground water. PP shall explore the possibility to make provision for alternate source of water such as DMIC supply

2. **प्रकरण क्र 9264/2022** परियोजना प्रस्तावक सुश्री शुभांगी सिंह, निवासी एच–48, निशांत कॉलोनी, 74 बगंला, भोपाल (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 25650 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 3.30 हेक्टेयर, खसरा 89/2, ग्राम बामलादाद, तहसील इच्छावर, **जिला सीहोर** (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणी स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 586वीं बैठक दिनांक 21.07.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है। राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा SEAC की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों के साथ ToR प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(i) परियोजना प्रस्तावक कच्ची सड़क के स्थान पर पक्का पहुंच मार्ग का निर्माण सुनिश्चित करेगा और खनिज के परिवहन हेतु ग्राम क्षेत्र के बाहर से वैकल्पिक मार्ग की योजना तैयार करेगा।

(ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित खदान की जानकारी सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (डीएसआर) में सम्मिलित कर ली जायेगी जिसका विधिवत अभिप्रमाणीकरण जिला खनिज अधिकारी द्वारा ई.आई.ए रिपोर्ट प्रस्तुत करने से पूर्व की जायेगा।

(iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा पहुंच मार्ग के साथ–साथ लीज क्षेत्र की परिधि में वन विभाग के परामर्श से वृक्षारोपण की योजना तैयार की जाएगी और सभी विवरणों के साथ वास्तविक स्थल की तस्वीरों को ई.आई.ए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये ।

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

(iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा जीरो साइज गिट्टी/धूल जो लीज क्षेत्र में भारी मात्रा में जमा हो जाती है, को हटाने की योजना बनाई जाये एवं उसे ईआईए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये।

(v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा स्टोन क्रेशर इकाई में शामिल मशीनरीयों के समय–समय पर रखरखाव हेतु योजना बनायेगा।

(vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा पहाड़ियों के खनन के कारण पारिस्थितिकी तंत्र को पहुंचने वाली क्षति को कम करने एवं आसपास के क्षेत्र (यदि कोई हो) पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव के उचित शमन उपायों के लिए योजना बनाएगा।

(vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं माननीय एनजीटी (प्रिंसिपल बेंच) के ओए नंबर 304/2019 में जारी निर्देशानुसार पत्थर खदान की अनुमति में न्यूनतम दूरी के मानदंड के दृष्टिगत नॉन ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम दूरी 100 मीटर और ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम 200 मीटर की दूरी तय है का परिपालन सुनिश्चित की जायेगा।

(viii) मैन्युअल खनन से संबंधित पाउडर/डस्ट फैक्टर के मूल्यांकन कर दस्तावेजों में सम्मिलित किया जाना चाहिए। यह सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर (एसपीएम) के अनुमान को सुनिश्चित करेगा एवं खदान श्रमिकों पर पड़ने वाले हानिकारक प्रभाव को समझने के साथ ही कार्यस्थल जनित रोगों की संभावना का मूल्यांकन करने में सहायक होगा।

(ix) खनन गतिविधियों से ग्लोबल वार्मिंग पोटेंसिएल और कार्बन फुट प्रिंट और इसे कम करने के उपायों का अध्ययन किया जाना चाहिए और प्रस्तावित ऊर्जा दक्षता उपायों के साथ ईआईए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये ।

(x) विस्तृत मॉनिटरिंग प्रोग्राम के साथ क्लस्टर पर्यावरण प्रबंधन योजना की कार्यप्रणाली तैयार की जानी चाहिए और इसकी कार्यान्वयन योजना के साथ रिपोर्ट में सम्मलित की जाये ।

(xi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा जहां तक संभव हो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के उपयोग हेतु योजना तैयार कर इसे रिपोर्ट में सम्मलित की जाये ।

(xii) एमओईएफसीसी की प्रारुप अधिसूचना दिनांक 18.02.2022 अनुसार जनरेटर सेटों के उत्सर्जन मानकों के अनुरूप तौर–तरीकों पर विचार करना चाहिए।

(xiii) पर्यावरण, वन एव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 18–02–2022 के प्रारूप अधिसूचना अनुसार ई.आई.ए. में जनरेटर सेटों के उत्सर्जन मानकों के अनुरूप तौर–तरीकों पर विचार किया जाना चाहिए।

(xiv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए अध्ययन में वायु गुणवत्ता मॉडलिंग को शामिल करना सुनिश्चित करेगा

(xv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्लस्टर के सभी खदान संचालकों के सहयोग से क्लस्टर में सम्मिलित सभी खदानों के पर्यावरणीय प्रबंधन हेतु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के माध्यम से एवं

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

उनके द्वारा सुझाये गये स्थान पर खदानों से होने वाले प्रदूषण हेतु निरंतर मॉनिटरिंग इक्यूपमेन्ट लगाकर उसका डिस्प्ले किया जायें एवं अन्य ऐसे पर्यावरणीय बिन्दुओं जो कि समान रूप से सभी पर लागू है की सामूहिक रूप से कार्यवाही सुनिश्चित की जाये तथा ईआईए में इसका विस्तृत रूप से विवरण दिया जायें।

उपरोक्तानुसार परियोजना प्रस्तावक एवं संबंधित संस्थाओं को सूचित किया जाये।

3. **प्रकरण क्र 9265/2022** परियोजना प्रस्तावक श्री ब्रजमोहन अग्निहोत्री, निवासी 166, वीर सावरकर नगर, एल.आई.जी. कॉलोनी, जिला धार (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 25000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 3.0 हेक्टेयर, खसरा 375/13, ग्राम रामपुरिया, तहसील रतलाम, **जिला रतलाम** (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणी स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 586वीं बैठक दिनांक 21.07.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं विशिष्ट शर्तो (परिशिष्ट–डी) सहित **ToR** जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है। राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा SEAC की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों के साथ **ToR** प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(i) परियोजना प्रस्तावक कच्ची सड़क के स्थान पर पक्का पहुंच मार्ग का निर्माण सुनिश्चित करेगा और खनिज के परिवहन हेतु ग्राम क्षेत्र के बाहर से वैकल्पिक मार्ग की योजना तैयार करेगा।

(ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित खदान की जानकारी सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (डीएसआर) में सम्मिलित कर ली जायेगी जिसका विधिवत अभिप्रमाणीकरण जिला खनिज अधिकारी द्वारा ई.आई.ए रिपोर्ट प्रस्तुत करने से पूर्व की जायेगा।

(iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा पहुंच मार्ग के साथ–साथ लीज क्षेत्र की परिधि में वन विभाग के परामर्श से वृक्षारोपण की योजना तैयार की जाएगी और सभी विवरणों के साथ वास्तविक स्थल की तस्वीरों को ई.आई.ए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये ।

(iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा जीरो साइज गिट्टी/धूल जो लीज क्षेत्र में भारी मात्रा में जमा हो जाती है, को हटाने की योजना बनाई जाये एवं उसे ईआईए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये।

(v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा स्टोन क्रेशर इकाई में शामिल मशीनरीयों के समय–समय पर रखरखाव हेतु योजना बनायेगा।

(vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा पहाड़ियों के खनन के कारण पारिस्थितिकी तंत्र को पहुंचने वाली क्षति को कम करने एवं आसपास के क्षेत्र (यदि कोई हो) पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव के उचित शमन उपायों के लिए योजना बनाएगा।

(vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं माननीय एनजीटी (प्रिंसिपल बेंच) के ओए नंबर 304/2019 में जारी निर्देशानुसार पत्थर खदान की अनुमति में न्यूनतम

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

दूरी के मानदंड के दृष्टिगत नॉन ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम दूरी 100 मीटर और ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम 200 मीटर की दूरी तय है का परिपालन सुनिश्चित की जायेगा।

(viii) मैन्युअल खनन से संबंधित पाउडर/डस्ट फैक्टर के मूल्यांकन कर दस्तावेजों में सम्मिलित किया जाना चाहिए। यह सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर (एसपीएम) के अनुमान को सुनिश्चित करेगा एवं खदान श्रमिकों पर पड़ने वाले हानिकारक प्रभाव को समझने के साथ ही कार्यस्थल जनित रोगों की संभावना का मूल्यांकन करने में सहायक होगा।

(ix) खनन गतिविधियों से ग्लोबल वार्मिंग पोटेंसिएल और कार्बन फुट प्रिंट और इसे कम करने के उपायों का अध्ययन किया जाना चाहिए और प्रस्तावित ऊर्जा दक्षता उपायों के साथ ईआईए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये ।

(x) विस्तृत मॉनिटरिंग प्रोग्राम के साथ क्लस्टर पर्यावरण प्रबंधन योजना की कार्यप्रणाली तैयार की जानी चाहिए और इसकी कार्यान्वयन योजना के साथ रिपोर्ट में सम्मलित की जाये ।

(xi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा जहां तक संभव हो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के उपयोग हेतु योजना तैयार कर इसे रिपोर्ट में सम्मलित की जाये ।

(xii) एमओईएफसीसी की प्रारूप अधिसूचना दिनांक 18.02.2022 अनुसार जनरेटर सेटों के उत्सर्जन मानकों के अनुरूप तौर–तरीकों पर विचार करना चाहिए।

(xiii) पर्यावरण, वन एव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 18–02–2022 के प्रारूप अधिसूचना अनुसार ई.आई.ए. में जनरेटर सेटों के उत्सर्जन मानकों के अनुरूप तौर–तरीकों पर विचार किया जाना चाहिए।

(xiv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए अध्ययन में वायु गुणवत्ता मॉडलिंग को शामिल करना सुनिश्चित करेगा

(xv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्लस्टर के सभी खदान संचालकों के सहयोग से क्लस्टर में सम्मिलित सभी खदानों के पर्यावरणीय प्रबंधन हेतु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के माध्यम से एवं उनके द्वारा सुझाये गये स्थान पर खदानों से होने वाले प्रदूषण हेतु निरंतर मॉनिटरिंग इक्यूपमेन्ट लगाकर उसका डिस्प्ले किया जायें एवं अन्य ऐसे पर्यावरणीय बिन्दुओं जो कि समान रूप से सभी पर लागू है की सामूहिक रूप से कार्यवाही सुनिश्चित की जाये तथा ईआईए में इसका विस्तृत रूप से विवरण दिया जायें।

उपरोक्तानुसार परियोजना प्रस्तावक एवं संबंधित संस्थाओं को सूचित किया जाये।

4. **प्रकरण क्र** 9268/2022 परियोजना प्रस्तावक सुश्री प्रज्ञा नायक, निवासी ग्राम गदौली, तहसील मेघनगर, जिल झाबुआ (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 19950 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 2.50 हेक्टेयर, खसरा 1043, ग्राम मोरझरी, तहसील थांदला, **जिला झाबुआ** (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणी स्वीकृति के लिये आवेदन।

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 586वी बैठक दिनांक 21.07.2022 में उक्त प्रकरण में निम्नलिखित अनुशंसा की गई है।

".........प्रकरण की विवेचना के दौरान समिति ने पाया कि सिया के पत्र क्रमांक 732 दिनांक 08/6/22 द्वारा झाबुआ जिले के नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (रेत खनिज को छोडकर) अनुमोदित की गई है किंतु जिसमें प्रस्तावित खदान का उल्लेख नही है, अतः इस स्थिति में इस प्रकरण पर पर्यावरणीय अभिस्वीकृति हेतु विचार किया जाना संभव नहीं है साथ ही समिति की यह भी अनुशंसा है कि प्रकरणों को ऑनलाईन स्वीकार करते समय उपरोक्त स्थिति का ध्यान रखा जाये ताकि प्रकरणों के लम्बित रहने की स्थिति न बने।"

राज्य स्तरीय समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में विस्तृत चर्चा एवं परीक्षण उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया :-

चूंकि प्रकरण से संबंधित जिले की नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट SEAC की अनुशंसा पर SEIAA द्वारा अनुमोदित की गई है जो कि 05 वर्ष के लिये वैध है एवं जिला स्तर पर नवीन खदानों की स्वीकृति की निरंतर प्रक्रिया होती है अतः ऐसे जिले जिनकी जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट अनुमोदित की जा चुकी है उनके द्वारा बाद में स्वीकृत प्रकरणों में जो कि पूर्व में जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में सम्मिलित नहीं किये गये है, उन प्रकरणों में पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरण स्वीकृति हेतु SEIAA को अनुशंसित किये जाना उचित होगा। पूर्व पर्यावरण अनापत्ति अनुमोदित होने पर संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा अधिसूचना में निहित निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप समावेश कर जिला पोर्टल पर अपलोड कर SEIAA एवं SEAC को सूचित किया जाये। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उत्खनन कार्य किया जायेगा।

उपरोक्त निर्णय के परिपालन में प्रकरण पुनः SEAC को प्रेषित करते हुए संबंधित जिला खनिज अधिकारी एवं परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

5. **प्रकरण क्र 9261/2022** परियोजना प्रस्तावक श्री अमर सिंह राजपूत, निदेशक, ग्राम मखानी, तहसील व जिला रायसेन (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 7291 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.0 हेक्टेयर, खसरा 79/3, ग्राम सोनथार, तहसील गौहरगंज, **जिला रायसेन** (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणी स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 586वी बैठक दिनांक 21.07.2022 में उक्त प्रकरण में निम्नलिखित अनुशंसा की गई है।

आज दिनांक 21/07/22 को परियोजना प्रस्तावक श्री अमर सिंह राजपूत (ऑनलाईन) और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार श्री शैलेन्द्र सोनकर, अधिकृत प्रतिनिधि, मेसर्स फारेस्ट इंवायरमेंट एवं क्लाईमेट चेंज मेनेजमेंट कन्सलटेंट प्रा. लि. भोपाल उपस्थित हुए ।

प्रकरण की विवेचना के दौरान समिति ने पाया कि सिया के पत्र क्रमांक 529 दिनांक 23/05/22 द्वारा रायसेन जिले की नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट अनुमोदित की गई है किंतु इस नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में प्रस्तावित खदान का उल्लेख नही है, अतः इस स्थिति में इस प्रकरण पर पर्यावरणीय अभिस्वीकृति हेतु विचार किया जाना संभव नहीं है साथ ही समिति की यह भी अनुशंसा है कि प्रकरणों

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

को ऑनलाईन स्वीकार करते समय उपरोक्त स्थिति का ध्यान रखा जाये ताकि प्रकरणों के लम्बित रहने की स्थिति न बने ।

राज्य स्तरीय समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में विस्तृत चर्चा एवं परीक्षण उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया :—

चूंकि प्रकरण से संबंधित जिले की नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट SEAC की अनुशंसा पर SEIAA द्वारा अनुमोदित की गई है जो कि 05 वर्ष के लिये वैध है एवं जिला स्तर पर नवीन खदानों की स्वीकृति की निरंतर प्रक्रिया होती है अतः ऐसे जिले जिनकी जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट अनुमोदित की जा चुकी है उनके द्वारा बाद में स्वीकृत प्रकरणों में जो कि पूर्व में जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में सम्मिलित नहीं किये गये है, उन प्रकरणों में पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरण स्वीकृति हेतु SEIAA को अनुशंसित किये जाना उचित होगा। पूर्व पर्यावरण अनापत्ति अनुमोदित होने पर संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा अधिसूचना में निहित निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप समावेश कर जिला पोर्टल पर अपलोड कर SEIAA एवं SEAC को सूचित किया जाये। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उत्खनन कार्य किया जायेगा।

उपरोक्त निर्णय के परिपालन में प्रकरण पुनः SEAC को प्रेषित करते हुए संबंधित जिला खनिज अधिकारी एवं परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

6- **Case No 9267/2022:** Prior Environment Clearance for Chinki Boras Barrage Combined Multipurpose Project located at Tehsil - Udaipura Bankhedi and Kareli, DIst. Raisen, Hoshangabad, Narsimhapur & Jabalpur (MP).,[GROSS COMMAND AREA - 154425 ha., CULTURABLE COMMAND AREA - 131925 ha by Shri D.S.Thakur, Chief Engineer, M/s Rani Avanti Bai Lodhi Sagar Project, Office of the Chief Engineer, Rani Avanti Bai Lodhi Sagar Project, Bargi Hills, Dist. Jabalpur, MP – 482001. Env. Consultant: M/s. R. S. Envirolink Technologies Pvt. Ltd, Gurgaon Amendment in ToR.

1. उक्त प्रकरण ToR संशोधन से संबंधित है एवं पूर्व में ToR पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा दिनांक 13.04.2022 के माध्यम से जारी किया गया।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा परियोजना क्षेत्र में जबलपुर जिले को शामिल करने के लिए आवेदन किया है, क्योंकि जलमग्न (20 हेक्टेयर) का एक बहुत छोटा हिस्सा जबलपुर जिले की सीमा में विस्तारित हो रहा है, जो कि MoEF&CC से टीओआर प्राप्त करने के समय ज्ञात नहीं था।
3. SEAC की 586वीं बैठक दिनांक 21.07.22 में प्रकरण पर विचार किया गया एवं समिति द्वारा विस्तृत विचार–विमर्श के उपरांत परियोजना प्रस्तावक द्वारा किए गये अनुरोध को स्वीकार करते हुये, प्रस्तावित चिंकी बोरास बैराज संयुक्त बहु–उद्देशीय परियोजना में जिला जबलपुर को शामिल करने के साथ संशोधित ToR जारी करने की अनुशंसा की गई, जिसमें शेष शर्तें यथावत रहेंगी, जो कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 13.04.2022 को उनके एफ.सं. जे–12011/02/2022–आईए.आई(आर) द्वारा अनुशंसित है।

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा प्रकरण में विस्तृत विचार विमर्श उपरांत SEAC की अनुशंसा को मान्य करते हुये अनुशंसित ToR के संशोधन को स्वीकार किया जाने का निर्णय लिया गया।

7- **प्रकरण क्र** 9171/2022 परियोजना प्रस्तावक श्री किशन सिंह चौहान, ग्राम साडा, तहसील बहौरीबंद, जिला कटनी (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 8000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.0 हेक्टेयर, खसरा 415 भाग, ग्राम साडा, तहसील बहौरीबंद, जिला कटनी (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणी स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 586वी बैठक दिनांक 21.07.2022 में उक्त प्रकरण में निम्नलिखित अनुशंसा की गई है:

"............ परियोजना प्रस्तावक श्री किशन सिंह चौहान और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार श्री संचित कुमार, मेसर्स कांग्नीजेंस रिसर्च इंडिया प्रा.लि., नोएडा, उ.प्र. ऑनलाईन उपस्थित हुए । प्रकरण की विवेचना के दौरान समिति ने पाया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा पुरानी जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट ऑन लाईन अपलोड की गई है जिसमें प्रश्नाधीन खदान का उल्लेख नही है। यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि आज दिनांक तक कटनी जिले की नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट सेक में परीक्षण हेतु प्राप्त नहीं हुई है । अतः इस स्थिति में इस प्रकरण पर पर्यावरणीय अभिस्वीकृति हेतु विचार किया जाना संभव नहीं है।"

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत 586वीं बैठक दिनांक 21.07.2022 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण को Delist किया जाता है। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

8- **प्रकरण क्र** 9190/2022 परियोजना प्रस्तावक श्री पंकज जोशी, निवासी 2/14, झरनेश्वर काम्प्लेक्स, जवाहर चौक, न्यू मार्केट, जिला भोपाल (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 25080 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 4.0 हेक्टेयर, खसरा 20/1 भाग, ग्राम लीलाखेड़ी, तहसील सीहोर, जिला सीहोर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणी स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 586वीं बैठक दिनांक 21.07.2022 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तो (परिशिष्ट–डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है। राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा SEAC की अनुशंसा में निहित शर्ते क्र. 01 से 18 तक को मान्य करते हुए प्रकरण में निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों के साथ ToR प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :–

(i) परियोजना प्रस्तावक कच्ची सड़क के स्थान पर पक्का पहुंच मार्ग का निर्माण सुनिश्चित करेगा और खनिज के परिवहन हेतु ग्राम क्षेत्र के बाहर से वैकल्पिक मार्ग की योजना तैयार करेगा।

(ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित खदान की जानकारी सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (डीएसआर) में सम्मिलित कर ली जायेगी जिसका विधिवत अभिप्रमाणीकरण जिला खनिज अधिकारी द्वारा ई.आई.ए रिपोर्ट प्रस्तुत करने से पूर्व की जायेगा।

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

(iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा पहुंच मार्ग के साथ–साथ लीज क्षेत्र की परिधि में वन विभाग के परामर्श से वृक्षारोपण की योजना तैयार की जाएगी और सभी विवरणों के साथ वास्तविक स्थल की तस्वीरों को ई.आई.ए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये ।

(iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा जीरो साइज गिट्टी/धूंल जो लीज क्षेत्र में भारी मात्रा में जमा हो जाती है, को हटाने की योजना बनाई जाये एवं उसे ईआईए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये।

(v) परियोजना प्रस्तावक द्वारा स्टोन क्रेशर इकाई में शामिल मशीनरीयों के समय–समय पर रखरखाव हेतु योजना बनायेगा।

(vi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा पहाड़ियों के खनन के कारण पारिस्थितिकी तंत्र को पहुंचने वाली क्षति को कम करने एवं आसपास के क्षेत्र (यदि,कोई हो) पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव के उचित शमन उपायों के लिए योजना बनाएगा।

(vii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं माननीय एनजीटी (प्रिंसिपल बेंच) के ओए नंबर 304/2019 में जारी निर्देशानुसार पत्थर खदान की अनुमति में न्यूनतम दूरी के मानदंड के दृष्टिगत नॉन ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम दूरी 100 मीटर और ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम 200 मीटर की दूरी तय है का परिपालन सुनिश्चित की जायेगा।

(viii) मैन्युअल खनन से संबंधित पाउडर/डस्ट फैक्टर के मूल्यांकन कर दस्तावेजों में सम्मिलित किया जाना चाहिए। यह सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर (एसपीएम) के अनुमान को सुनिश्चित करेगा एवं खदान श्रमिकों पर पड़ने वाले हानिकारक प्रभाव को समझने के साथ ही कार्यस्थल जनित रोगों की संभावना का मूल्यांकन करने में सहायक होगा।

(ix) खनन गतिविधियों से ग्लोबल वार्मिंग पोटेंसिएल और कार्बन फुट प्रिंट और इसे कम करने के उपायों का अध्ययन किया जाना चाहिए और प्रस्तावित ऊर्जा दक्षता उपायों के साथ ईआईए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये ।

(x) विस्तृत मॉनिटरिंग प्रोग्राम के साथ क्लस्टर पर्यावरण प्रबंधन योजना की कार्यप्रणाली तैयार की जानी चाहिए और इसकी कार्यान्वयन योजना के साथ रिपोर्ट में सम्मलित की जाये ।

(xi) परियोजना प्रस्तावक द्वारा जहां तक संभव हो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के उपयोग हेतु योजना तैयार कर इसे रिपोर्ट में सम्मलित की जाये ।

(xii) एमओईएफसीसी की प्रारूप अधिसूचना दिनांक 18.02.2022 अनुसार जनरेटर सेटों के उत्सर्जन मानकों के अनुरूप तौर–तरीकों पर विचार करना चाहिए।

(xiii) पर्यावरण, वन एव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 18–02–2022 के प्रारूप अधिसूचना अनुसार ई.आई.ए. में जनरेटर सेटों के उत्सर्जन मानकों के अनुरूप तौर–तरीकों पर विचार किया जाना चाहिए।

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

(xiv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए अध्ययन में 'वायु गुणवत्ता मॉडलिंग को शामिल करना सुनिश्चित करेगा

(xv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्लस्टर के सभी खदान संचालकों के सहयोग से क्लस्टर में सम्मिलित सभी खदानों के पर्यावरणीय प्रबंधन हेतु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के माध्यम से एवं उनके द्वारा सुझाये गये स्थान पर खदानों से होने वाले प्रदूषण हेतु निरंतर मॉनिटरिंग इक्यूपमेन्ट लगाकर उसका डिस्प्ले किया जायें एवं अन्य ऐसे पर्यावरणीय बिन्दुओं जो कि समान रूप से सभी पर लागू है की सामूहिक रूप से कार्यवाही सुनिश्चित की जाये तथा ईआईए में इसका विस्तृत रूप से विवरण दिया जायें।

उपरोक्तानुसार परियोजना प्रस्तावक एवं संबंधित संस्थाओं को सूचित किया जाये।

9- <u>जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, जिला – ग्वालियर (म.प्र.)</u>

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 586वीं बैठक दिनांक 21/07/2022 में जिला ग्वालियर की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में निम्नानुसार सुझाव सहित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट अद्यतन किये जाने की अनुशंसा की गई है।

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला ग्वालियर ने पत्र क्रमांक 11304 दिनांक 14/07/22 के माध्यम से जिले की 02 जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (1. जिला खनिज (रेत) सर्वेक्षण प्रतिवेदन जिला – ग्वालियर (म.प्र.) – एवं 2. जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (खनिज रेत को छोड़कर) जिला – ग्वालियर (म.प्र.) – राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति के परीक्षण हेतु भेजी गई है जो राज्य स्तरीय मूल्यांकन समिति को दिनांक 18/7/22 को प्राप्त हुई । उक्त जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति के सदस्यों को दिनांक 18/7/22 को प्रेषित की गई थी तथा उस पर चर्चा राज्य स्तरीय मूल्यांकन समिति की 586 वीं बैठक दिनांक 21/07/22 में प्रस्तावित की गई।

इस जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पर सुझाव आमंत्रित करने बावत् उसे जिले के पोर्टल पर 21 दिवस के लिए अपलोड किया गया था । उक्त अवधि में कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं होने पर जिला स्तरीय समिति के अनुमोदन उपरांत जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021–2022 प्रस्तुत की गई है।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की 586 वीं बैठक दिनांक 21/07/22 में ग्वालियर जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पर चर्चा की गई, जिसमें श्री प्रदीप सिंह भूरिया प्रभारी खनिज अधिकारी ऑन लाईन उपस्थित थे । चर्चा के दौरान समिति ने पाया कि :–

<u>जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, ग्वालियर (रेत खनिज)</u>

- *प्रस्तुत जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में कई जगह पर अग्रेजी का मेटर लगातार लिख गया है (Text mixed with other word) इस त्रुटि को दूर कर पुनरिक्षित किया जावें।*
- *तालिका क्र0. 13.3 (पेज –27) मे नदी वार जो रेत लीज में उपलब्ध मात्रा की गणना की गयी है वह उचित प्रतीत नही होती है। अतएव इसको पुनरिक्षित किया जाना प्रस्तावित है।*
- *इसी प्रकार जिले में स्वीकृत/प्रस्तावित खदानों को को–आर्डिनेट के अनुसार डिजिटाईज मेप*

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

(आर्क व्यू / गूगल अर्थ कम्पेटेवल – सी.डी.में) भी संलग्न किया जाये ताकि पर्यावरण अभिस्वीकृति के समय खदानों की सही स्थिति ज्ञात करने में तथा 500 मीटर के अंदर स्थित अन्य स्वीकृत खदानों की जानकारी प्राप्त करने में सुविधा हो ।

- *प्रायः देखा जा रहा है जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में रेत निर्माण होने की भू–वैज्ञानिक विधि की सामान्य जानकारी दी जाती है जो सभी जिला सर्वेक्षण रिपोर्टो में एक जैसी ही है जिसके स्थान पर जिलें में मिलने वाली नदी के अपस्ट्रीम क्षेत्र में मिलने वाली चट्टानों का (रॉक फार्मेशन) का समावेश होना चाहिए ।*

- *समिति संबंधित जिलों के खनिज अधिकारियों को निर्देशित करती है कि इस बात का भी ध्यान रखा जाये कि नदियों में किसी स्थान पर मछलियों / कछुआ /घड़ियाल / मगरमच्छ आदि जलचरों का ब्रीडिंग ग्राउण्ड तो नहीं है यदि ऐसा कोई स्थानीय संवेदनशीन क्षेत्र दृष्टिगत होता है तो खनन् क्षेत्र की सीमा को 60 प्रतिशत से कम कर 50 प्रतिशत तक भी सीमित किया जा सकता है ।*

<u>जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, ग्वालियर – गौण खनिज (Minor Mineral)</u>

- *तालिका क0. 9.2 एंव 9.3 जिसमें गौण खनिज की जानकारी प्रदाय की गयी है उसको पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी की गई अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 के अनुरूप नही है अतएव गौण खनिज की सम्पूर्ण तालिकाओं का उन्नयन किया जाना प्रस्तावित है।*

- *बिन्दु क0. 19 एंव 19.1 में प्रदाय की घाटीगांव इको सेंसिटिव जोन की जानकारी के अंर्तगत ESZ सीमा की जानकारी एंव ESZ में आने वाले गांवो की जानकारी का समावेश किया जायें अथवा मंत्रालय द्वारा जारी इको सेंसेटिव जोन संबंधी अधिसूचना संलग्न की जाये।*

- *पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 के अनुसार बिंदु कमांक–26 की जानकारी जो माईनर मिनरल (रेत छोडकर) से संबंधित है में हरित क्षेत्र के विकास हेतु खदानों में वृक्षारोपण की जानकारी नहीं दी गई है, जिसको अद्यतन किया जाना चाहिए। साथ ही निर्धारित लक्ष्य के विरूद्ध कितना वृक्षारोपण किस वर्ष किया है, उसको भी अंकित किया जाना चाहिए ।*

- *समिति ने यह भी सुझाव दिया कि सभी खनिज अधिकारी अपनी साईट विजिट के दौरान खदान द्वारा किये जा रहे पर्यावरणीय एवं सामाजिक पहलुओं का भी अवलोकन करें एवं यदि कोई पर्यावरणीय संवेदनशीलता दृष्टिगत हो, जिस पर ध्यान दिया जाना आवश्यक हो तो संबंधित तथ्यों से राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघॉत निर्धारिण प्राधिकरण को उचित कार्यवाही हेतु अवगत करायें ।*

चर्चा उपरांत समिति की यह अनुशंसा है कि ग्वालियर जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को समिति द्वारा सुझाई गई उपरोक्त अनुशंसाओ के तारतम्य में अद्यतन (अपडेट) किया जाये तथा संशोधित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 के अनुसार पुनः प्रस्तुत की जाये । ऑन लाईन उपस्थित श्री प्रदीप सिंह भूरिया प्रभारी खनिज अधिकारी को भी उपरोक्त संदर्भ में समझाईश दी गई कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 के निर्धारित फार्मेट अनुसार जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को अद्यतन कर लें । तद्नुसार प्रकरण आगामी कार्यवाही राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघॉत निर्धारण प्राधिकरण की ओर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

राज्य स्तरीय समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत SEAC की 586वीं बैठक दिनांक 21/07/2022 की अनुशंसा को मान्य करते हुए सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि SEAC द्वारा सुझाई की उपरोक्त अनुशंसाओं को नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में अद्यतन किया जाकर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 में निर्धारित फार्मेट में संशोधित एवं अद्यतन वांछित जानकारी SEIAA एवं SEAC को प्रस्तुत करें।

तदानुसार जिला कलेक्टर, ग्वालियर एवं संचालक भौमिकी तथा खनिकर्म को सूचित किया जाये।

10- **प्रकरण क्र 9204/2022** परियोजना प्रस्तावक मेसर्स रेवा मिनरल्स एंड कंपनी, पार्टनर, श्री अखंड प्रताप सिंह, निवासी वार्ड नं. 26, पाण्डव नगर समन, तहसील हुजूर, जिला रीवा (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 18468 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 2.0 हेक्टेयर, खसरा 8/2/1/2, ग्राम हर्रा, तहसील महुगंज, जिला रीवा (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणी स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 586वी बैठक दिनांक 21.07.2022 में उक्त प्रकरण में निम्नलिखित अनुशंसा की गई है:

The committee deliberated that if PP's have not submitting desired information even after 30 days of appraisal, their cases may be recommended for delisting and respective case files may be sent to SEIAA for onward necessary action assuming that PP is not interested to continue with the project. If later on PP interested in continuing with the proposal, they shall request SEIAA for relisting with proper justification for the same.

On dated 20/07/22, PP has submitted online request vide letter dated 12/07/22 that they intends to withdraw their project. Committee accepts the request of PP and recommends that the case may be withdrawn (delisted) as per PP's request.

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत 586वी बैठक दिनांक 21.07.2022 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण को समाप्त (Close) किया जाता है। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

11- **प्रकरण क्र 9205/2022** परियोजना प्रस्तावक श्री मधुसूदन पाटीदार आत्मज श्री हरिवल्लभ पाटीदार, निवासी रिछालमुआ, तहसील दलौदा, जिला मंदसौर (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 42180 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 4.0 हेक्टेयर, खसरा 113, ग्राम अरनिया गुर्जर, तहसील मंदसौर, जिला मंदसौर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणी स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 586वी बैठक दिनांक 21.07.2022 में उक्त प्रकरण में निम्नलिखित अनुशंसा की गई है:

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

The committee deliberated that if PP's have not submitting desired information even after 30 days of appraisal, their cases may be recommended for delisting and respective case files may be sent to SEIAA for onward necessary action assuming that PP is not interested to continue with the project. If later on PP interested in continuing with the proposal, they shall request SEIAA for relisting with proper justification for the same.

The reply to ADS is not received on PARIVESH within 30 days, hence project may be delisted.

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत 586वी बैठक दिनांक 21.07.2022 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण को Delist किया जाता है। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

12- **प्रकरण क्र 9138/2022** परियोजना प्रस्तावक श्री कमरान खान आत्मज श्री इकबाल हुसैन खान, निवासी 105, बद्रीबाग कॉलोनी, मनिक बाग रोड़, जिला इंदौर (म.प्र.) द्वारा पत्थर एवं एम–सेण्ड खदान, उत्पादन क्षमता पत्थर 25000 एवं एम–सेण्ड 75000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 4.0 हेक्टेयर, खसरा 181/2, ग्राम निमोला, तहसील धरमपुरी, जिला धार (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणी स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 586वी बैठक दिनांक 21.07.2022 में उक्त प्रकरण में निम्नलिखित अनुशंसा की गई है:

"..........The committee deliberated that if PP's have not submitting desired information even after 30 days of appraisal, their cases may be recommended for delisting and respective case files may be sent to SEIAA for onward necessary action assuming that PP is not interested to continue with the project. If later on PP interested in continuing with the proposal, they shall request SEIAA for relisting with proper justification for the same.

PP has submitted online information today i.e. 21/07/22 but the DSR of Dhar district is not approved till date, hence sent to SEIAA for necessary action".

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत 586वी बैठक दिनांक 21.07.2022 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण को Delist किया जाता है। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

13- **प्रकरण क्र** 7474/2020 परियोजना प्रस्तावक श्री शंकर कौल आत्मज श्री शिवदास कौल, निवासी ग्राम अकौना, पोस्ट – अबेर, तहसील रामपुर बघेलन, जिला सतना (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 15000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.619 हेक्टेयर, खसरा 1180/1घ, ग्राम मुडगुड़ी, तहसील मानपुर, जिला उमरिया (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणी स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 586वी बैठक दिनांक 21.07.2022 में उक्त प्रकरण में निम्नलिखित अनुशंसा की गई है:

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

"........The committee deliberated that if PP's have not submitting desired information even after 30 days of appraisal, their cases may be recommended for delisting and respective case files may be sent to SEIAA for onward necessary action assuming that PP is not interested to continue with the project. If later on PP interested in continuing with the proposal, they shall request SEIAA for relisting with proper justification for the same.

The reply to ADS is not received on PARIVESH within 30 days, hence project may be delisted."

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत 586वी बैठक दिनांक 21.07.2022 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण को Delist किया जाता है। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

14- **प्रकरण क्र. 8940/2022:** Prior Environment Clearance for Proposed 1 MLD Common Effluent Treatment Plant based on ZLD at Plot No. 64, Zone-II, VikramUdyogpuri, Dist. Ujjain (MP)by M/s NICDC VikramUdyogpuri Ltd, Administrative Building, New Plot No. 152, Village - Narwar, Dist. Ujjain, MP - 456664 (As industrial area notified by Govt. of M.P.).

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 586वी बैठक दिनांक 21.07.2022 में उक्त प्रकरण में निम्नलिखित अनुशंसा की गई है:

"........The committee deliberated that if PP's have not submitting desired information even after 30 days of appraisal, their cases may be recommended for delisting and respective case files may be sent to SEIAA for onward necessary action assuming that PP is not interested to continue with the project. If later on PP interested in continuing with the proposal, they shall request SEIAA for relisting with proper justification for the same.

The reply to ADS is not received on PARIVESH within 30 days, hence project may be delisted."

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत 586वी बैठक दिनांक 21.07.2022 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण को Delist किया जाता है। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

15- **प्रकरण क्र 9215/2022** परियोजना प्रस्तावक श्री निलेश रघुवंशी आत्मज श्री विष्णु सिंह रघुवंशी, निवासी पहाड़सिंहपुरा, रघुवंशी पाथ, मंगल भवन, जिला खरगौन (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 20000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 2.0 हेक्टेयर, खसरा 07, ग्राम मौमीनपुरा, तहसील खरगौन, जिला खरगौन (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणी स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 586वी बैठक दिनांक 21.07.2022 में उक्त प्रकरण में निम्नलिखित अनुशंसा की गई है:

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

The committee deliberated that if PP's have not submitting desired information even after 30 days of appraisal, their cases may be recommended for delisting and respective case files may be sent to SEIAA for onward necessary action assuming that PP is not interested to continue with the project. If later on PP interested in continuing with the proposal, they shall request SEIAA for relisting with proper justification for the same.

The reply to ADS is not received on PARIVESH within 30 days, hence project may be delisted.

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ई–मेल दिनांक 28.07.2022 के माध्यम से SEAC द्वारा चाही गई जानकारी प्रस्तुत कर प्रकरण को निराकरण किये जाने का अनुरोध किया गया है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी को मान्य करते हुए प्रकरण SEAC को परीक्षण हेतु अग्रेषित किया जाये। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

16- <u>जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, जिला – छतरपुर (रेत खनिजं) (संशोधित).</u>

राज्य स्तरीय समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा 720वी बैठक दिनांक 05.05.2022 में जिला छतरपुर की नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट का अनुमोदन राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 567वी बैठक दिनांक 29.04.2022 की अनुशंसा के आधार पर किया गया था जिसकी सूचना पत्र दिनांक 09.05.2022 के माध्यम से कलेक्टर छतरपुर को जिला पोर्टल पर अपलोड करवाये जाने एवं संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म सूचनार्थ प्रेषित की गई थी।

तदोपरांत राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 573वी बैठक दिनांक 28.05.2022 में जिन जिलों की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट का अनुमोदन SEAC की अनुशंसा पर SEIAA द्वारा किया जा चुका है उनमें 60 प्रतिशत टोटल मिनरल पोटेंशियल की जानकारी सम्मिलित कर अद्यतन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये गये थे। उक्त निर्देशों के परिपालन में जिला छतरपुर से प्राप्त अद्यतन कर पुनरीक्षित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट SEAC को प्रेषित की गई थी।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 586वीं बैठक दिनांक 21/07/2022 में जिला छतरपुर की पुनरीक्षित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में निम्नानुसार सुझाव सहित अनुशंसा की गई है।

"..................चर्चा उपरांत समिति की यह अनुशंसा है कि छतरपुर जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट पर आमजन के सुझाव आमंत्रित कर इनका अनुमोदन जिले में गठित समिति द्वारा किया जा चुका है तथा खनि अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर, (खनिज शाखा) जिला छतरपुर ने पत्र कमांक 1516/खनिज/2022, दिनांक 30/06/22 के माध्यम से "माइनेवल मिनरल पोटेंशियल" (धनमीटर में) (60 प्रतिशत टोटल मिनरल पोटेंशियल) लीजवार विवरण की जानकारी भी प्रस्तुत कर दी गई है । अतः समिति द्वारा सुझाई गई उपरोक्त अनुशांसाओ के साथ, छतरपुर जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (रेत खनिज) अनुमोदन हेतु विचारार्थ एवं आगामी कार्यवाही हेतु राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघॉत निर्धारण प्राधिकारण की ओर प्रेषित किया जाये।"

राज्य स्तरीय समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत SEAC की 579वीं बैठक दिनांक 17/06/2022 की अनुशंसा को मान्य करते हुए छतरपुर जिले की

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

अद्यतन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट का अनुमोदन **SEAC** द्वारा सुझाई की उपरोक्त अनुशंसाओं के साथ किया जाता है।

तदानुसार जिला कलेक्टर, छतरपुर को पुनरीक्षित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट जिला पोर्टल पर अपलोड करवाये जाने एवं संचालक भौमिकी तथा खनिकर्म को सूचित किया जाये।

17. राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की 586वी बैठक दिनांक 21.07.2022 में निम्नानुसार प्रकरणों को **SEIAA** को अग्रेषित किया गया है राज्य स्तरीय पर्यावरण समाद्यात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा उपरोक्त प्रकरणों में की गई अनुशंसा के परिपालन में विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत निम्नलिखित निर्णय लिया गया :-

क्र.	SEAC की अनुशंसा	SEIAA का निर्णय
1	✓ सेक द्वारा पर्यावरणीय अभिस्वीकृति हेतु प्राप्त प्रकरणों को ''ईज ऑफ डूइंग बिजनेस'' की आवधारणा के तहत् त्वरित एवं समय-सीमा में निराकरण हेतु तकनीकी प्रस्तुतीकरण के दौरान उद्भूत प्रश्नों की ज़ानकारी यदि परियोजना प्रस्तावक उसी दिन प्रस्तुतीकरण के दौरान / पश्चात् प्रस्तुत करता है तो समिति उसे स्वीकार कर परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिये गये प्रस्तुतीकरण के साथ संलग्न कर सिया को अनुशंसा सहित आगामी निर्णय हेतु प्रेषित की ज़ाती है ।	• पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी कार्यालयीन ज्ञापन क्रं. F.No. 22-37/2018-IA III दिनांक 19.04.2021 का अवलोकन करें जिसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि पर्यावरणीय स्वीकृति की सम्पूर्ण प्रक्रिया परिवेश पोर्टल के माध्यम से ऑनलाईन ही सुनिश्चित किया जाना SEIAA एवं SEAC के लिये अनिवार्य है। इसके उपरांत भी SEAC द्वारा प्रकरणों में परियोजना प्रस्तावक से वांछित जानकारी ऑफलाईन प्राप्त की जा रही है। ऑफलाईन जानकारी प्राप्त करना भारत सरकार के निर्देशों के विपरीत है।
	✓ कृपया मध्यप्रदेश शासन, पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, भोपाल द्वारा जारी पत्र कमांक 108 दिनांक 31/01/22 (जो सिया को भी संबोधित है) का अवलोकन हो, जिसमें प्रमुख सचिव द्वारा यह निर्देशित किया गया है मान्नीय मुख्यमंत्री जी द्वारा विभाग की समीक्षा बैठक दिनांक 08/01/22 में पर्यावरणीय स्वीकृति के संबंध में आवेदित प्रकरणों को समय-सीमा में निराकृत किये जाने के निर्देश दिए गए थे।	• जहाँ तक मध्यप्रदेश शासन, पर्यावरण विभाग द्वारा जारी पत्र दिनांक 31.01.2022 का प्रश्न है तो SEAC के पास पर्याप्त समय है जिसमें SEAC द्वारा परियोजना प्रस्तावक से प्रस्तुतीकरण के दौरान चाही गई जानकारी परिवेश पोर्टल पर ऑनलाईन प्राप्त की जा सकती है एवं आगामी बैठक में उक्त प्रकरण में पर्यावरण स्वीकृति की अनुशंसा की जा सकती है।
	✓ ज्ञात हो कि मध्यप्रदेश शासन, पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, भोपाल द्वारा जारी पत्र कमांक 314 दिनांक 30/03/22 (जो सिया को भी संबोधित है) के अनुसार बी-1 श्रेणी के प्रकरणों हेतु 80 कार्यदिवस तथा बी-2 श्रेणी हेतु 40	• पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रकरणों के निराकरण की समय-सीमा 105 दिवस निर्धारित की गई है। म.प्र. लोक सेवा

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

	कार्यदिवस की समय–सीमा म.प्र. लोक सेवा गारंटी अधिनियम, 2010 के तहत् निर्धारित की गई है । ✓ उपरोक्त निर्देशों के पालनार्थ ही सेक द्वारा प्रकरणों के त्वरित निपटान की दृष्टि से ऐसे प्रकरणों में जिनमें सूक्ष्म परिवर्तन (जैसे वृक्षो की प्रजातियों में परिवर्तन, परियोजना प्रस्तावक का वचन–पत्र, सी.ई.आर. में आंशिक फेरबदल इत्यादि जिसका प्रभाव तकनीकी दृष्टिकोण से व्यापकता नही रखता अर्थात उसमें आगे ओर किसी अध्ययन की आवश्कता नही हो) प्रस्तावित होते है से उसी दिन प्रस्तुतीकरण के साथ जानकारी/उत्तर स्वीकार किये जाते है तथा उसका उल्लेख सेक के मिनिट्स में किया जाता है, यदि सभी जबाव ऑनलाईन ही प्राप्त किये जाने है तो कम से कम 15 दिनों का अतिरिक्त समय लगने की संभावना है तथा निर्धारित समय–सीमा में प्रकरणों का निपटान संभव नहीं होगा जो शासन की मंशानुरूप नहीं होगा। ✓ प्रस्तुतीकरण के दौरान वांछित जानकारी जो परियोजना प्रस्तावक प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं, उनसे जानकारी ऑनलाईन परिवेश पोर्टल के माध्यम से ही प्राप्त कर प्रकरण में निर्णय लिया जाता है । ✓ यदि सिया सेक की उपरोक्त अनुशंसा से सहमत न हो तो भविष्य में सूक्ष्म परिवर्तनों/क्वेरी भी ए.डी.एस. के माध्यम से ऑनलाईन प्राप्त किये जा सकते है । ✓ अतः समिति की अनुशंसा है कि उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में सेक को पुनः अग्रेषित प्रकरण जिनमें सेक द्वारा पूर्व में प्रकरणों का परीक्षण का तकनीकी मतांकन किया जा चुका है, उन प्रकरणों को सिया को पुनः अग्रेषित किये जाये।	गारंटी अधिनियम 2010 के तहत समय–सीमा निर्धारित नहीं की गई है। • **SEIAA समिति SEAC द्वारा अपनाई जा रही ऑफलाईन प्रक्रिया से सहमत नहीं है।** • **अतः उपरोक्त सभी प्रकरणों में SEAC द्वारा वांछित जानकारी ADS के माध्यम से परिवेश पोर्टल पर अपलोड़ कराई जाये। (संलग्न सूची क्रमांक–1)**
	✓ पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा परिवेश पोर्टल पर निर्धारित ऑनलाईन प्रक्रिया में जब कोई प्रकरण	• यह सही है कि पर्यावरण स्वीकृति हेतु परिवेश पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन करते समय परियोजना प्रस्तावक एवं

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

		निर्धारित प्रपत्र में अपलोड किया जाता है तो उसमें परियोजना प्रस्तावक / फर्म का नाम एवं अन्य विवरण उल्लेखित होते हैं । ✓ ऑनलाईन प्रकिया में ही प्रत्येक प्रकरण में परियोजना प्रस्तावक द्वारा चयनित पर्यावरणीय सलाहकार फर्म का नाम तथा उसके क्यू.सी. आई. एक्रीडिटेशन का सर्टिफिकेट अपलोड किया जाता है तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना एसओ कमांक 648 (ई) दिनांक 03/03/16 के अनुरूप सिर्फ क्यू.सी.आई. एक्रीडेटेड सलाहकार को ही (जिसे परियोजना प्रस्तावक ने उक्त कार्य हेतु अधिकृत किया है) सेक के समक्ष प्रस्तुतीकरण करने दिया जाता है । ✓ इसी प्रकार सिया द्वारा जारी दिशा–निर्देश (पत्र कमांक 2278 दिनांक 13/10/21 एवं 1216 दिनांक 20/6/21) के द्वारा भी परियोजना प्रस्तावकों से शपथ–पत्र (निर्धारित प्रपत्र में) प्राप्त किया जाता है जिसमें परियोजना प्रस्तावक का नाम तथा पंजीकृत योग्य पर्यावरणीय सलाहकार के विवरण दर्ज होते हैं। इन शपथ–पत्रों के अपलोड करने के पश्चात् ही प्रकरण सिया द्वारा स्वीकार कर पंजीबद्ध किया जाता है । ✓ सिया द्वारा पुनः प्रेषित कई प्रकरणों में जिनमें पर्यावरणीय सलाहकार / परियोजना प्रस्तावक (जो प्रस्तुतीकरण के दौरान उपस्थित हुए थे) के नाम का उल्लेख है, को भी पुनः सेक को अग्रेषित किया गया है । ✓ उपरोक्त से स्पष्ट है कि परियोजना प्रस्तावक का नाम/फर्म का नाम तथा पर्यावरणीय सलाहकार के विवरण परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन फार्म में पूर्व से ही उपलब्ध होते है, अतः पुनः उनका कार्यवाही विवरण में उल्लेख करने का कोई औचित्य नहीं है, फिर भी परियोजना प्रस्तावक तथा सलाहकार का नाम कार्यवाही विवरण में लिखे जाने का यथासंभव प्रयास किया जा रहा हैं । ✓ यदि सिया सेक की उपरोक्त अनुशंसा से सहमत न हो तो भविष्य में परियोजना प्रस्तावक	पर्यावरण सलाहकार का नाम आवेदन में उल्लेखित किया जाता है। • उल्लेखनीय है कि SEAC में प्रस्तुतीकरण के दौरान उपस्थित परियोजना प्रस्तावक एवं अधिकृत पर्यावरण सलाहकार के स्थान पर परियोजना प्रस्तावक व पर्यावरण सलाहकार के द्वारा अधिकृत अन्य व्यक्ति भी प्रस्तुतीकरण में उपस्थित होते हैं जिनका नाम ऑनलाईन आवेदन में उल्लेखित नहीं रहता है। उदाहरण के तौर पर प्रकरण क्र 6376 एवं 6534 में परियोजना प्रस्तावक का नाम मोहम्मद अब्बास अंकित है जबकि प्रस्तुतीकरण में श्री रहमानी उपस्थित हुए इसी तरह अन्य प्रकरणों में भी इस तरह की भिन्नता देखी गई है। • पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी ज्ञापन क्र. J-11013/41/2006-IA.II(I) दिनांक 17.03.2010 में स्पष्ट रूप से निर्देश है कि कार्यवाही विवरण में पर्यावरण स्वीकृति/ToR के प्रस्तुतीकरण के दौरान उपस्थित अधिकृत सलाहकार एवं परियोजना प्रस्तावक का नाम अनिवार्यतः अंकित किया जाये। • **अतः SEAC में प्रस्तुतीकरण के दौरान उपस्थित परियोजना प्रस्तावक व उनके अधिकृत व्यक्ति एवं पर्यावरण सलाहकार का नाम स्पष्ट रूप से अंकित किया जाये। ताकि यह सुनिश्चित हो कि अधिकृत व्यक्ति/पर्यावरण सलाहकार द्वारा ही अपनी उपस्थिति दी है, उसके द्वारा की गई घोषणाओं एवं जानकारी परियोजना प्रस्तावक हेतु बंधनकारी है। (संलग्न सूची क्रमांक–1)** • **उचित होगा कि प्रस्तुतीकरण के समय उपस्थित अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर एवं मोबाईल नम्बर भी प्राप्त किये जायें। अगर व्यक्ति ऑनलाईन जुड़े तो उनके Screenshot लिये जा सकते हैं।**

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

	व अधिकृत पर्यावरण सलाहकार (ऑनलाईन / आफलाईन) का नाम अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधि का नाम कार्यवाही विवरण में अंकित किया जाये। ✓ अतः समिति का मत है कि पूर्व में जिन प्रकरणों पर सेक द्वारा अनुशंसा की जा चुकी हैं उनको उपरोक्त निर्णय के परिप्रेक्ष्य में सिया को पुनः अग्रेषित किया जाये (संलग्न सूची क्रमांक–1)	
	✓ समिति इस बात से सहमत है कि *"पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना में नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के संबंध में निर्धारित प्रक्रिया का पालन सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य है"* । ✓ मान्नीय सर्वोच्च न्यायाल, नई दिल्ली द्वारा सिविल अपील क्रमांक 4503/2022 में दिनांक 20/07/22 को निम्नानुसार निर्णय पारित किया गया है :– *"No mining shall be carried out in terms of the e-auction dated 16/11/21 without finalizing the District Survey Report".* संभवतः छतरपुर जिले के रेत खनन् से संबंधित प्रकरण है । ✓ यहाँ पर यह भी उल्लेख करना आवश्यक है कि मध्यप्रदेश के अधिकांश जिलों की नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट बनाने का कार्य प्रगति पर है तथा जो भी नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट समिति को प्राप्त हो रही है उनका त्वरित परीक्षण कर मतांकन से सिया को अवगत कराया जा रहा है । ✓ समिति की 585वीं बैठक दिनांक 13/07/22 में लिए गए निर्णय के अनुरूप सदस्य सचिव के पत्र क्रमांक 232 दिनांक 18/07/22 के द्वारा (प्रतिलिपि सिया को भी पृष्ठांकित है) समस्त कलेक्टरों, सभी संबंधित जिला खनिज अधिकारियों एवं संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, भोपाल को शीघ्र नवीन जिला सवेक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश भी प्रसारित किये गये है ।	• इस संबंध में लेख है कि पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 25.07.2018 अनुसार जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट का अनुमोदन 05 वर्ष हेतु किया जाता है। अतः जिन जिलों की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट का अनुमोदन SEIAA द्वारा किया जा चुका है तथा उन जिलों के ऐसे प्रकरण जिनकी जानकारी अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में सम्मिलित नहीं है, में सशर्त पर्यावरण स्वीकृति की अनुशंसा की जा सकती है। क्योंकि पर्यावरण स्वीकृति जारी होने के पश्चात ही उक्त खदान की जानकारी अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में सम्मिलित की जावेगी। इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी भी उनके पत्र के माध्यम से अभिप्रमाणित कर रहे हैं। • यह भी उल्लेख है कि जिन जिलों की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट अनुमोदन हेतु प्राप्त हो गई है परंतु अनुमोदन नहीं हुआ है ऐसे प्रकरणों को जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट अनुमोदन होने के उपरांत ही अनुशंसित किया जाये। • **SEIAA द्वारा 724वी बैठक दिनांक 17.05. 2022 में लिये गये नीतिगत निर्णय** ***"जिन जिलों की नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट SEIAA कार्यालय में अनुमोदन हेतु प्राप्त हो रहीं हैं उन जिलों के परिवेश पोर्टल पर आवेदित ऑनलाईन आवेदनों को स्वीकार कर SEAC को परीक्षण एवं अनुशंसा हेतु प्रेषित किये जायें।"*** **अनुसार ही ऑनलाईन आवेदन स्वीकार कर प्रकरण SEAC को अग्रेषित किये जा रहे हैं।** • **यह भी महत्वपूर्ण है कि SEIAA द्वारा**

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

- ✓ अवगत होना चाहेंगे कि सिया द्वारा सेंड माईनिंग के कुछ प्रकरणों में (सिया की 719वीं बैठक दिनांक 21/04/2022–प्रकरण कमांक–7733 /2020 के कार्यवाही विवरण अनुसार) सशर्त अनुमति जारी किये जाने का निर्णय लिया गया है, जिसमें यह शर्त लगाई गई है कि –

  "माननीय एन.जी.टी. के आदेश दिनांक 22/02/22 एवं 04/03/22 के परिपालन में परियोजना प्रस्तावक द्वारा नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुमोदन होने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित् किया जायेगा" ।

- ✓ किंतु समिति इस बात से सहमत नहीं है कि ऐसे प्रकरण जिनको बिना नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के सिया द्वारा ऑनलाईन स्वीकार कर लिया गया है, तथा सेक को इस मत के साथ वापिस भेजा गया कि

  "नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुमोदन की अनुशंसा के पश्चात् इन प्रकरणों को सिया को प्रेषित किया जाये"

- ✓ अतः समिति का मत है कि सिया द्वारा पुनः परीक्षण हेतु जब तक संबंधित जिलों की नवीन/ संशोधित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट का परीक्षण सेक द्वारा किया जाकर उसका अनुमोदन सिया द्वारा नहीं किया जाता तब तक पर्यावरणीय अभिस्वीकृति हेतु प्राप्त ऐसे प्रकरणों को या तो डिलिस्ट किया जाये या **abeyance** में रखा जाये, ताकि ऐसे प्रकरण सिया/सेक स्तर पर ऑनलाईन लम्बित परिलक्षित न हो ।
- ✓ अतः समिति का मत है कि जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के परिप्रेक्ष्य प्राप्त सभी प्रकरणों को नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने तक उपरोक्तानुसार अंतिम निर्णय हेतु सिया की ओर अग्रेषित किया जाये । (संलग्न सूची कमांक–1)

SEAC की अनुशंसा पर ही नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट का अनुमोदन किया जा रहा है। जबकि SEAC द्वारा अनुशंसित एवं SEIAA द्वारा अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में निरंतर रूप से Updation किया जा रहा है जैसा कि जिला छतरपुर एवं अन्य जिलों की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में SEAC की अनुशंसा पर अनुमोदन होने के उपरांत भी जिलों से विभिन्न बिन्दुओं (विशेष रूप से वृक्षारोपण, अक्षांश देशांश, 60 प्रतिशत माईनेबिल मिनरल पोटेंशियल इत्यादि की जानकारी) जिले की जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की अनुमोदन प्रक्रिया में स्पष्ट रूप से दर्शित है।

- **विभिन्न जिलों से प्राप्त जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट की अनुमोदन की प्रक्रिया में निरंतर रूप से यह देखा जा रहा है कि SEAC द्वारा बारम्बार परीक्षण कर जिलों से सीधे ही जानकारी न प्राप्त करते हुए SEIAA को अग्रेषित की जाती हैं एवं इन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट को SEIAA द्वारा जिला कलेक्टर के लिये लेख किया जाता है। जिला कलेक्टर से प्राप्त जानकारी को पुनः SEAC को भेजे जाने में अनावश्यक रूप से विलम्ब होता है जबकि SEAC के द्वारा सीधे ही जिलों से एकबार में जानकारी प्राप्त कर जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट अनुमोदन हेतु SEIAA को अनुशंसित की जानी चाहिए। इस प्रक्रिया से जिला स्तर से प्राप्त समस्त पर्यावरण स्वीकृति के प्रकरणों को शीघ्र निराकृत किया जा सकेगा और अवैध उत्खनन पर भी अंकुश लगेगा।**
- **जहाँ तक नदियों से रेत खनन के प्रकरणों का प्रश्न है, इसकी स्वीकृति की प्रक्रिया में एनजीटी द्वारा समय–समय पर दिये गये निर्देश, मानसून के पूर्व रेत का खनन, राज्य शासन का राजस्व, अवैध रेत उत्खनन पर अंकुश एवं बाजार में रेत की समुचित उपलब्धता (कमी की वजह से अनावश्यक मंहगाई पर नियंत्रण) को ध्यान**

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

		में रखते हुए समयानुसार आवश्यक संशोधन किये गये हैं। इसकी अन्य गौण खनिज के प्रकरणों से तुलना नहीं की जा सकती।
	✓ सिया की 735वीं बैठक दिनांक 11/07/22 में यह सूचित किया है कि बी–1 अथवा बी–2 श्रेणी का है, इसके विस्तृत परीक्षण हेतु सेक समिति का गठन किया गया है । तत्संदर्भ में लेख है कि : ➤ पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा ऑनलाईन कार्यप्रणाली हेतु जारी मैन्युअल फॉर सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम तथा मैन्युअल फॉर स्टेट पोर्टल (जो परिवेश म. प्र. की बेवसाइट पर उपलब्ध है) में निम्न प्रावधान निहित हैं :– ONLINE SUBMISSION AND MONITORING OF ENVIRONMENTAL CLEARANCES (OSMEC) 1.4.2 SEIAA (STATE ENVIRONMENT IMPACT ASSESSMENT AUTHORITY) *After receiving the proposal online, SEIAA can examine the proposal for its completeness and the same will be forwarded (after assigning SEIAA file no.) to SEAC (State Environment Appraisal Committee). If proposal is not complete, SEIAA can raise query and may ask PP to submit the complete proposal. If proposal is complete, the same will be forwarded by SEIAA to SEAC for their recommendation. The proposal will come again to SEIAA after the completion of process from SEAC, the SEIAA would process it and will upload the decision.* 1.4.3 SEAC (STATE EXPERT APPRAISAL COMMITTEE) *After receiving the proposal online*	• SEIAA द्वारा पर्यावरण स्वीकृति हेतु परिवेश पोर्टल पर आवेदित ऑनलाईन आवेदनों को परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर स्वीकार किया जाता है ना कि गूगल ईमेज के आधार पर। SEAC द्वारा बताये गये दो प्रपोजल नम्बर **प्रपोजल कमांक**– SIA / MP / MIN /191260/2021 **तथा** SIA/MP/MIN/ 195481 /2021का स्पष्ट अवलोकन करें जिसमें खनिज अधिकारी द्वारा प्रस्तुत 500 मीटर की जानकारी के पत्रानुसार प्रस्तावित खदान को मिलाकर कुल एरिया 5 हेक्टेयर से अधिक हो रहा था जिस कारण उनको बी–1 श्रेणी में आवेदन किये जाने हेतु EDS किया गया था। ऐसा कोई भी प्रकरण नहीं है जिसमें ऑनलाईन आवेदन स्वीकार करते समय गूगल इमेज का परीक्षण कर बी–1 या बी–2 श्रेणी निर्धारित की गई है। • पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी ईआईए अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 के पैरा 5 में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया कि SEIAA द्वारा स्वीकार प्रकरणों का तकनीकी परीक्षण (Screening, Scoping and Appraisal) का काम SEAC का है ना कि SEIAA के प्रशासनिक स्तर का है।

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

	After receiving the proposal online from SEIAA, the concerned SEAC can view the proposal (Form-1 and other documents) submitted by PP. They will examine it and may raise query (if any) to SEIAA. After that, SEAC will conduct the meeting and upload the agenda, minutes of the meeting and recommendation of SEAC on the portal. If, they upload the recommendation, the proposal would be forwarded automatically to SEIAA. ✓ अतः समिति का मत है कि उपरोक्त प्रावधानो के अनुरूप प्राप्त आवेदनों की सभी मायनों में स्क्रूटनी सिया के स्तर पर ही हो जानी चाहिए, । प्रकरण किस श्रेणी का है यह एक प्रशासनिक स्तर का निर्णय है जो परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर सिया द्वारा किया जा रहा हैं, ऐसा मानते हुए समिति द्वारा कार्य संपादन किया जा रहा था, क्योंकि पूर्व में सिया द्वारा कई प्रकरणों में आवेदक के बी–2 श्रेणी में आवेदन करने पर ई.डी.एस. के माध्यम से उसको यह सूचित किया गया है कि आपका प्रकरण बी–1 श्रेणी का है, अतः आप टॉर के लिए आवेदन करें (सुलभ संदर्भ हेतु कृपया ऑनलाईन प्रपोजल कमांक– SIA / MP / MIN /191260/2021 तथा SIA/MP/MIN/ 195481 /2021 का अवलोकन हो) ✓ सेक में यदि प्रकरण के गूगल इमेज के आधार पर परीक्षण के दौरान कोई शंका उत्पन्न होती है तो उसे कार्यवाही विवरण में उल्लेख कर संबंधित प्राधिकारी से जानकारी/स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाता है । अतः उपरोक्तानुसार अनुरोध है कि जब तक प्रकरण तकनीकी रूप से परीक्षण हेतु स्वीकार योग्य न हो, उसे स्वीकार कर सेक को न भेजा जाये, क्योंकि सेक का दायित्व प्रकरणों को अपने स्तर पर, लम्बित रखना न होकर त्वरित तकनीकी परीक्षण कर अनुशंसायें सिया को प्रेषित किया जाना है ।	

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

अतः उपरोक्तानुसार लिये गये निर्णय के परिपालन में निम्नानुसार प्रकरणों (संलग्न सूची कमांक–1) को **SEAC** को पुनः अग्रेषित किया जाये। इन प्रकरणों में **SEAC** द्वारा ऑफलाईन प्राप्त जानकारी प्रकरणवार कार्यवाही विवरण के साथ संलग्न कर परिवेश पोर्टल पर अपलोड की जाये अथवा **ADS** जारी कर जानकारी अपलोड होने पर आवश्यक अनुशंसा की जावे। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

संलग्न सूची कमांक–1

1.	Case No 8148/2021 M/s Siyaram Stone Crusher, Partner, Shri Pramod Sahu, R/o, Behind Iron Majid, Bus Stand Chatarpur, Dist. Chhatarpur, MP - 471301, Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 4.0 ha. (50000 cum per annum) (Khasra No. 1456/3), Village - Sarani, Tehsil - Chhatarpur, Dist. Chhatarpur (MP) [59705] **(EIA) (B1)**	Case consider in 586th SEAC meeting dated 21.07.2022.
2.	Case No 9231/2022 M/s Brijwasi Stone Crusher, Shri Anukar Nayak, Partner, 577/1, C/o Satish Nayak, Mukesh Nayak, Civil Ward No. 07, Dist. Damoh, MP - 470661, Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 1.694 ha. (20000 Cum per annum) (Khasra No. 408, 409, 410, 411), Village - Mara (Viran), Tehsil - Buxwaha, Dist. Chhatarpur (MP) [276167] **(B2)**	Case consider in 586th SEAC meeting dated 21.07.2022.
3.	Case No 6769/2020 M/s R.K.Stone Company, Ward No. 08, Khudwari Mohalla, Barod Road, Tehsil - Alote, Dist. Ratlam, MP, Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 1.0 ha. (5044 cum per annum) (Khasra No. 385/2/2), Village - Jeevangarh, Tehsil - Alote, Dist. Ratlam (MP) **(EIA) (B1)**	Case consider in 586th SEAC meeting dated 21.07.2022.
4.	Case No 6770/2020 Shri Aabid Khan, Ward No. 8, Khudwari Mohalla, Barod Road, Tehsil - Alote, Dist. Ratlam, MP, Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 2.0 ha. (12125 cum per annum) (Khasra No. 143), Village - Khamariya, Tehsil - Alote, Dist. Ratlam (MP) **(EIA) (B1)**	Case consider in 586th SEAC meeting dated 21.07.2022.
5.	Case No 9214/2022 Smt. Sunita Meda W/o Shri Ramsingh Meda, 88/1, Bakhtawar Road, Tehsil & Dist. Dhar, MP - 454001, Prior Environment Clearance for Murrum Quarry in an area of 3.30 ha. (15000 Cum per annum) (Khasra No. 496/3), Village - Bodla, Tehsil - Sardarpur, Dist. Dhar (MP) **(B2)**	Case consider in 586th SEAC meeting dated 21.07.2022.
6.	Case No 9137/2022 Shri Shiv Narayan S/o Shri Rukhdusa Malviya, Village - Lagsari, Tehsil - Kukshi, Dist. Dhar, MP - 454001, Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 1.0 ha. (10000 cum per annum) (Khasra No. 196/1, 198, 197), Village - Undali, Tehsil - Kukshi, Dist. Dhar (MP) **(B2)**	Case consider in 586th SEAC meeting dated 21.07.2022.
7.	Case No 9223/2022 M/s Jirati Murrum Suppliers, Shri Shubhash Jirati & Shri Sadik Khan, situated near Village - Chandawad, Tehsil - Dharmpuri, District - Dhar, MP Prior Environment Clearance for Murrum Quarry in an area of 2.0 ha. (10000 Cum	Case consider in 586th SEAC meeting dated 21.07.2022.

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

	per annum) (Khasra No. 129/1), Village - Chandawad, Tehsil - Dharmpuri, Dist. Dhar (MP) [271923] **(B2)**	
8.	Case No 9119/2022 Shri Jitendra Shroti S/o Shri Kalyan Shroti, D-24, Vivek Vihar Colony, Lashkar Grid, Dist. Gwalior, MP - 474001 Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 2.591 ha. (50009 cum per annum) (Khasra No. 1974/2/Min-1, 2082), Village - Daurar, Tehsil - Ghatigaon, Dist. Gwalior (MP) [263169] **(B2)**	Case consider in 586th SEAC meeting dated 21.07.2022.
9.	Case No 9222/2022 Smt. Resham Bai W/o Shri Dulha Singh, Karrakheda, P.O. Vadan Karra Kheda Pada, Dist. Guna, MP - 473105, Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 2.368 ha. (57000 Cum per annum) (Khasra No. 3726), Village - Parsen, Tehsil - Murar, Dist. Gwalior (MP) [272151] **(B2)**	Case consider in 586th SEAC meeting dated 21.07.2022.
10.	Case No 9221/2022 Smt. Pushplata Tiwari W/o Shri Omprakash Tiwari, R/o Mittal Enclave, Plot No. 60, Dist. Katni, MP - 483501, Prior Environment Clearance for Murrum Quarry in an area of 2.40 ha. (19818 Cum per annum) (Khasra No. 624 Part), Village - Banda, Tehsil - Mudwara, Dist. Katni (MP) [275991] **(B2)**	Case consider in 586th SEAC meeting dated 21.07.2022.
11.	Case No. – 6376/2019 M/s Jujawal Marble, 907/1, Badi Omti, Dist. Jabalpur, MP Prior Environment Clearance for Granite Deposit in an area of 9.818 ha. (Granite - 5246 cum per annum and Saleable waste material - 28480 cum per annum) (Khasra No. 2700, 2702, 2703/1, 2704, 2705, 2707, 2708, 2711/1, 2711/2, 2706, 2712/1, 2712/2, 2713, 2714/1, 2714/2, 2714/3, 2715/1, 2716/1, 2664/2), Village - Chhilpa, Tehsil - Anuppur, Dist. Anuppur (MP) **(EIA) (B1)**	Case consider in 586th SEAC meeting dated 21.07.2022.
12.	Case No. – 6534/2019 M/s Jabalpur Ispat Pvt. Ltd, 907/1, Badi Omti, Dist. Jabalpur, MP, Prior Environment Clearance for Granite/Dolerite Deposit in an area of 7.350 ha. (23043 cum per annum) (Khasra No. 2678, 2679, 2680, 2683/2, 2687, 2688, 2689, 2690, 2691, 2692, 2693, 2694, 2722/1, 2722/2), Village - Chhilpa, Tehsil - Anuppur, Dist. Anuppur (MP) **(EIA) (B1)**	Case consider in 586th SEAC meeting dated 21.07.2022.
13.	Case No 9224/2022 Shri Dinesh Nagar S/o Shri Mathralal Nagar, Village - Barodi, Tehsil - Narsinghgarh, DIst. Rajgarh, MP - 465669, Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 1.0 ha. (4998 Cum per annum) (Khasra No. 31/2/1/1, 31/2/1/2), Village - Barodi, Tehsil - Narsinghgarh, Dist. Rajgarh (MP) [277308] **(B2)**	Case consider in 586th SEAC meeting dated 21.07.2022.
14.	Case No 9225/2022 Shri Ganesh Patidar S/o Shri Kanhaiyalal Patidar, 697, Village - Gavlipalasiya, Tehsil - Mahu, Dist. Indore Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 1.028 ha. (10290 Cum per annum) (Khasra No. 1304/1, 1304/2), Village - Gavlipalasiya, Tehsil - Mahu, Dist. Indore (MP) [276135] **(B2)**	Case consider in 586th SEAC meeting dated 21.07.2022.

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष